

## कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा।

### आम सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत दिनांक 01.04.2015 को लम्बित एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं तथा इंदिरा आवास मार्गदर्शिका की कंडिका 8.3 से 8.4 के आलोक में दोनों योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (प्रथम चरण) का कार्य दिनांक 24.08.2015 से 31.08.2015 तक ग्राम सभा द्वारा चयनित सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा किया जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण हेतु कार्यक्रम की विवरणी निम्नांकित है:-

क्र० सं०	कार्यक्रम की विवरणी	तिथि	स्थान	प्रतिभागी पदा० / कर्मी / जनप्रतिनिधि
1	जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	12.08.15 से 13.08.2015 तक	समाहरणालय सभा कक्ष	जिला परिषद सदस्य / सभी प्रमुख / प्र०वि०पदा० / प्र०कार्य०पदा०, एस०आर०पी० / SAF इत्यादी
2	ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल का चयन	14.08.2015 से 15.08.15	संबंधित ग्राम	मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक / प्रखण्ड द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक।
3	प्रखण्ड स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण	17.08.2015 से 18.08.2015 तक	संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय	सभी जन प्रतिनिधि एवं मनरेगा कर्मी सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य / SAF
4	पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित प्रशिक्षण	21.08.2015 से 22.08.2015 तक	संबंधित पंचायत मुख्यालय	मुखिया / प०स०स० / वार्ड सदस्य / सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य / SAF
5	मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण	24.08.2015 से 02.09.2015 तक	प्रत्येक गाँव में	सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों द्वारा जिनका सहयोग SAF करेंगे।
6	सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण समेकन।	03.09.2015 से 04.09.2015 तक	पंचायत मुख्यालय	सामाजिक अंकेक्षण दल एवं सहयोगी SAF/ जन प्रतिनिधि द्वारा पर्यवेक्षण।
7	पंचायत स्तर पर संकलित सा० अंके० प्रतिवेदन पर जनसुनवाई।	7.09.2015 से 8.09.2015 तक	पंचायत मुख्यालय	जन प्रतिनिधि गण, मनरेगा कर्मी, सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य ग्रामीण एवं वादी-प्रतिवादी तथा SAF
8	पंचायतों द्वारा प्रखण्ड स्तरीय जनसुनवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करना।	9.09 .2015	पंचायत मुख्यालय	मुखिया / प०स०स० / पंचायत सेवक / रोजगार सेवक / SAF
9	प्रखण्ड स्तर पर जनसुनवाई।	10.09.2015	प्रखण्ड मुख्यालय	माननीय जन प्रतिनिधि गण, सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य ग्रामीण एवं वादी-प्रतिवादी।
10	प्रखण्ड स्तर पर ATR तैयार करना एवं जिला को सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराना।	11.09.15 से 14.09.15	प्रखण्ड मुख्यालय	प्रमुख / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी / SAF / जनप्रतिनिधि
11	जिला स्तर पर जनसुनवाई।	19.09.2015	नगर भवन सिमडेगा	जिले के माननीय जनप्रतिनिधि गण, पदाधिकारी गण, SRP ग्रामीण एवं वादी-प्रतिवादी।
12	राज्य स्तर पर जनसुनवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करना।	-30.09.2015	-	-

सामाजिक अंकेक्षण कार्य में पंचायत सेवक, कार्यान्वयन एजेंसी, स्वयं सेवी संस्था के सदस्य एवं SAF सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ Facilitator का कार्य करेंगे।

ग्रामीणों से अपील है कि सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन के निर्माण करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

विजय कुमार मुंजनी, झा०प्र०से०  
उप विकास आयुक्त -सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।

विजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०  
उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।

ज्ञापांक...../जि०प०, दिनांक...../

प्रतिलिपि :-विज्ञापन सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर/दैनिक भास्कर/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को दिनांक 10.08.2015 के स्थानीय संस्करण में अधिकतम 20x18 वर्ग सेंटीमीटर आकार में डी०ए०भी०पी० दर पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।

**दिनांक 01.04.2015 को लंबित एवं 2015-16 में ली गई सभी योजनाओं का पंचायत स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण जनसुनवाई कार्यक्रम**

क्र०	तिथि	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम
(i)	24.08.2015 एवं 25.08.2015	सिमडेगा	कुल्लूकेरा, गरजा एवं बंगरू
		पाकरटांड	कैरबेड़ा एवं सिकरियाटांड
		कुरडेग	कुटमाकच्छार एवं कुरडेग
		केरसई	कोनजोबा एवं केरसई
		ठेठईटांगर	पाईकपारा, दुमकी, मेरोमडेगा एवं ठेठईटांगर
		बोलबा	मालसाड़ा एवं कादोपानी
		कोलेबिरा	कोलेबिरा, रैसिया एवं बरसलोया
		जलडेगा	लम्बोई, जलडेगा एवं कुटुंगिया
		बांसजोर	तरगा
		बानो	कोनसोदे, बानो, डुमरिया एवं साहुबेड़ा
(ii)	26.08.2015 एवं 27.08.2015	सिमडेगा	टैसेरा, कोचेडेगा एवं अरानी
		पाकरटांड	केशलपुर एवं कुरुसकेला
		कुरडेग	बड़कीबिउरा एवं डुमरडीह
		केरसई	किनकेल एवं टैसेर पूर्वी
		ठेठईटांगर	बाधचट्टा, ताराबोगा, बम्बलकेरा एवं जोराम
		बोलबा	पिड़ियापोछ
		कोलेबिरा	नवाटोली, शाहपुर एवं लचड़ागढ़
		जलडेगा	टिनगिना, लमडेगा एवं ओड़गा
		बांसजोर	उरते
		बानो	सिम्हातु, बांकी, उकौली एवं रायकेरा
(iii)	28.08.2015 एवं 31.08.2015	सिमडेगा	सेवई, तामड़ा एवं बड़ाबरपानी
		पाकरटांड	आसनबेड़ा
		कुरडेग	गड़ियाजोर एवं चड़रीमुण्डा
		केरसई	बासेन एवं टैसेर पश्चिमी
		ठेठईटांगर	कोनपाला, कोनमेंजरा, घुटबहार एवं केरया
		बोलबा	बेहरिनबासा
		कोलेबिरा	बंदरचुआं, टुटीकेल एवं अधरमा
		जलडेगा	कोनमेरला एवं परबा
		बांसजोर	बासंजोर
		बानो	बेड़ाईरगी, कानारोवा, बड़काडुईल एवं गेनमेर
(iv)	1.09.2015 एवं 2.09.2015	सिमडेगा	पिथरा, बीरू एवं जोकबहार
		पाकरटांड	पाकरटांड
		कुरडेग	खिण्डा एवं हेठमा
		केरसई	बाधडेगा
		ठेठईटांगर	कोरोमियां, टुकुपानी एवं राजाबासा
		बोलबा	समसेरा
		कोलेबिरा	डोमटोली एवं ऐडेगा
		जलडेगा	पतिअम्बा एवं टाटी
		बांसजोर	कोम्बाकेरा
		बानो	सोय, पबुड़ा, बिन्तुका एवं जामतई

उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।

ज्ञापांक ...../जि0प0, दिनांक...../

- प्रतिलिपि : सभी S.A.F. सिमडेगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि, उपर्युक्त कैलेंडर के आलोक में ग्राम सभा पर्यवेक्षक/जनसुनवाई पर्यवेक्षक अपने स्तर से प्रतिनियुक्त करते हुए स्थान तथा तिथि सहित अधोहस्ताक्षरी को सूची उपलब्ध करायेंगे, जिसके आलोक में जिलास्तरीय पदाधिकारियों/राज्य के विशेष टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जायेगा एवं कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार दीवार लेखन, स्थानीय सूचना श्रोतों द्वारा ढोल-नगाड़े पिटवाकर करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण दल/(S.A.F.) सामाजिक अंकेक्षण साधनसेवी को योजना से संबंधित विभिन्न अभिलेख यथा-मस्टर रौल, एम0बी0, प्रशासनिक स्वीकृति, प्राक्कलन राशि की प्रति 15 दिन पूर्व अथवा जिला स्तरीय प्रशिक्षण के तत्काल बाद एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के पूर्व उपलब्ध करायेंगे जिससे सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण में सुविधा हो एवं दस्तावेजों का भौतिक एवं मौखिक, लेखा तथा व्यय की गुणवत्ता का सत्यापन किया जा सके। सामाजिक अंकेक्षण के पश्चात् ससमय जनसुनवाई करते हुए जिला को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना एवं एम0आई0एस0 इन्ट्री कराना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु दिनांक 01.04.2015 को लंबित एवं 2015-16 में ली गई सभी योजनाओं का पंचायत स्तरीय सामाजिक लेखा-परीक्षा संलग्न कैलेंडर अनुसार संपादित करना सुनिश्चित करेंगे, तथा वादी-प्रतिवादी तथा कम से कम 50 मजदूरों के साथ जिला स्तरीय जनसुनवाई में उपस्थित होंगे।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल/एन0आर0ई0पी0/लधु सिंचाई प्रमण्डल /वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सामाजिकी वाणिकी वन प्रमण्डल/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि वास्तविक अंकेक्षण की तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व अथवा जिला स्तरीय प्रशिक्षण के बाद एवं प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के पूर्व संबंधित योजनाओं के दस्तावेजों की छायाप्रति/मुलप्रति मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- प्रतिलिपि : अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया/जिला समन्वयक, झारखण्ड ग्रामीण बैंक, सिमडेगा/जिला समन्वयक, सहकारिता बैंक को सूचनार्थ एवं कार्यक्रम जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 12.08.2015 एवं जनसुनवाई दिनांक 19.09.2015 को भाग लेने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमण्डलीय डाक निरीक्षक, सिमडेगा/मुख्य डाकपाल, सिमडेगा/गुमला को सूचनार्थ एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 12.08.2015 जनसुनवाई दिनांक 19.09.2015 को भाग लेने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 19.09.2015 को नगर भवन में कोडलेस माईक ध्वनि विस्तारक यंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक 19.09.2015 को नगर भवन आरक्षित रखना तथा स्वच्छ पेयजल दो टैंकर नगर भवन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी पी0एम0आर0डी0एफ0, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान सक्रिय रहते हुए सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी पंचायत समिति सदस्य/मुखिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी प्रमुख/सभी जिला परिषद सदस्य, सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार-प्रसार कराते हुए संपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि : सभी गैरसरकारी संगठन सिमडेगा (एन0 जी0ओ0) को सूचनार्थ एवं अंकेक्षण में अपना बहुमुल्य सहयोग एवं सुझाव देने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला परिषद, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : लोकपाल मनरेगा सिमडेगा जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकर(लेखापरीक्षा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : माननीय विधायक, सिमडेगा, कोलेबिरा एवं तोरपा विधान सभा क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : माननीय सांसद, खूंटी लोक सभा क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।

- ज्ञापांक...../जि0प0, दिनांक...../
- प्रतिलिपि : नाजिर, जिला परिषद, सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सिमडेगा।